संख्या-39/2021/1882304/12-5099/11/2021(पार्ट-1)

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ::दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

विषय- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत प्राप्त हो रही शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक शासनादेश संख्या-21/2020/463/12-5-2020-सा0-1/2019 दिनांक 30-04-2020 का संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी0एम0किसान योजना अन्तर्गत शिकायतों के निराकरण के लिए आपकी अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।

2- उक्त के सन्दर्भ में यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में किसानों की पी0एम0किसान योजना से सम्बन्धित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता पूर्ण नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप किसानों द्वारा आई0जी0आर0एस पोर्टल तथा शासन एवं अन्य उच्च स्तर पर शिकायतें की जा रही है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सम्बन्धित शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए पुनः निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित शिकायत निवारण समिति सक्रिय रूप से कार्य करे तथा पी0एम0किसान पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त हो रही शिकायतों का समय से गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण कराया जाय।

2- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑनलाइन निस्तारित शिकायतों की पाक्षिक समीक्षा की जाय और जिलाधिकारी द्वारा रैण्डम आधार पर यह अवश्य देखा जाय कि ऑनलाइन शिकायत का निस्तारण संतोषजनक तथा गुणवत्तायुक्त है।

3- यह संज्ञान में लाया गया है कि भारत सरकार की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2019-2020 में 5 प्रतिशत तथा 2020-2021 के लाभार्थियों में से 10 प्रतिशत लाभार्थियों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भौतिक सत्यापन करते समय कई लाभार्थियों के त्रुटिपूर्ण सत्यापन किए गये है तथा कतिपय पात्र किसानों को अपात्र अथवा मृत दिखाया गया है, फलस्वरूप इसकी भी शिकायतें प्राप्त हो रही है। ऐसे सभी प्रकरणों में भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय तथा ऐसे पात्र लाभार्थियों के डाटा के डाटा को शुद्ध कराने के लिए सभी साक्ष्यों सहित कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेजा जाय।

4- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित शिकायत निवारण समिति को ऑफलाइन शिकायतों के निस्तारण के लिए भी सक्रिय किया जाय तथा शिकायत निवारण के लिए जनपद स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम का नम्बर सार्वजनिक प्रचार माध्यम के द्वारा आम जनता में व्यापक रूप से प्रचारित किया जाय।

कृपया उपर्युक्तानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, ताकि किसानों को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े एवं उन्हें योजना का लाभ यथाशीघ्र प्राप्त हो सके।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी

मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in